

कार्यालय आदेश संख्या - 108/NG/2021/OPTG/SPJ

श्री राजू कुमार यादव, पुत्र श्री उपेन्द्र प्रसाद यादव, गेटमैन(परि०)/मांझागढ़, जीपी - 1800, लेवल-01, पूर्वोत्तर रेलवे/वाराणसी मंडल, का श्री कलक्टर रॉय, पुत्र श्री मोख्तार राय, कांटावाला /बेतिया, जीपी - 1800, लेवल - 1, पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर मंडल के साथ, वाराणसी मंडल के पत्र सं० - का./परि./283/।।अं.रे.अं.मं./पार.स्था./गेटमैन/19-20, दिनांक 16.12.2020 एवं समस्तीपुर मंडल के पत्र सं०- का/283/परि०/ज०वि०प्र०/अं.रे./पार०स्था०/सम०/2020, दिनांक 23.12.2020 के द्वारा अन्तर रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरण स्वीकृत है।

श्री राजू कुमार यादव मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/वाराणसी के पत्र संख्या:- का./परि./283/।।अं.रे.अं.मं./पार.स्था./गेटमैन/19-20, दिनांक 05.03.2021 द्वारा विरमित होकर इस कार्यालय में पदस्थापना हेतु दिनांक 08.03.2021 को रिपोर्ट किये हैं, को कांटावाला-बी, जीपी - 1800, लेवल - 1, में स्टेशन अधीक्षक/बेतिया के अधीन पदस्थापित किया जाता है। कर्मचारी दिनांक 08.03.2021 से कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि तक प्रतीक्षारत रहे हैं।

उक्त पारस्परिक स्थानान्तरण कर्मचारी के स्वयं के अनुरोध पर है अतः इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई भी सुविधा देय नहीं है।

यह सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित है।

श्री राजू कुमार यादव का फोटो, हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित है।



///
(एम. के. चौधरी)
सहायक कार्मिक अधिकारी-।
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर

सं०- का/283/परि०/ज०वि०प्र०/अं०रे०/पार०स्था०/सम०/2020,

दिनांक 12.03.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/पूर्वोत्तर रेलवे/वाराणसी -कृपया उपरोक्त कर्मचारी का ए०पी०ए०आर० एवं सेवा अभिलेख विधिकरणोपरान्त इस मंडल को अविलम्ब भेजें।
02. वमपचाप्र./समस्तीपुर।
03. वमंविप्र./समस्तीपुर।
04. स्टेशन अधीक्षक/बेतिया - श्री कलक्टर रॉय, पुत्र श्री मोख्तार राय, कांटावाला/बेतिया, जीपी - 1800, लेवल - 1, पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर मंडल को जल्द से जल्द विरमित कर इस कार्यालय में भेजे ताकि उन्हें वाराणसी मंडल हेतु विरमित किया जा सके। कृपया श्री राजू कुमार यादव का योगदान देने संबंधी सूचना इस कार्यालय को दे।
05. मुकार्याधी/परिचालन संवर्ग- कृपया उक्त कर्मचारी का अन्य आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करे।
06. मुकार्याधी/यातायात बिल-कार्यालय में।
07. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो०/सम० मंडल।
08. संबंधित कर्मचारी- आप स्टेशन अधीक्षक/बेतिया को रिपोर्ट करे।
09. अभिलेख हेतु।

12/3/2021
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर
सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर